## <u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> <u>जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 688 / 12

संस्थापन दिनांक : 03.09.2012

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म.प्र.

- अभियोजन

## बनाम

1—नीरज पुत्र लज्जाराम जाटव उम्र 35 साल निवासी रसान्दर का पुरा थाना मेहगांव जिला ग्वालियर म.प्र.

- अभियुक्त

## निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

- उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.स.की धारा 279, 337(दो बार), के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 31.08.12 को 15:30 बजे दिलीपसिंह के पुरा के सामने भिण्ड आम रोड पर वाहन टाटा 407 क्रमांक एम.पी. –07–जी.ए.2180 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी नवलिकशोर शर्मा की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उस पर बैठे सोनू भारद्वाज अ0सा02 एवं नवलिकशोर अ0सा01 को उपहति कारित की।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 31.08.12 को फरियादी नवलिकशोर अ०सा०1 अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम०पी०—30—एम.ई. 7555 से ग्वालियर से भिण्ड जा रहा था पीछे सोनू अ०सा०2 बैठा था दोपहर 15:30 बजे दिलीपसिंह के पुरा के सामने आरोपी टाटा 407 कामंक एम.पी.—07—जी.ए. 2180 को तेजी व लापखाही से उपेक्षापूर्वक चलाकर आया और उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे नवलिकशोर अ०सा०1 व सोनू अ०सा०2 को चोटें आईं मौके पर भूरेसिंह अ०सा०3 आ गया था। तत्पश्चात फरियादी नवलिकशोर अ०सा०1 ने थाना गोहद चौराहा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी—1 दर्ज कराई जिस पर से थाना गोहद चौराहा में अप०क० 151/12 पंजीबद्ध कर मामला

विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

- 3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेत् निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :--
  - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 31.08.12 को 15:30 बजे दिलीपसिंह के पुरा के सामने भिण्ड आम रोड पर वाहन टाटा 407 क्रमांक एम.पी.—07—जी.ए.2180 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
  - 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी नवलिकशोर शर्मा की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उस पर बैठे सोनू भारद्वाज अ०सा०२ एवं नवलिकशोर अ०सा०१ को उपहित कारित की ?

## //विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ व ०२ का सकारण निष्कर्ष//

- फरियादी नवलिकशोर अ०सा०१ ने कथन किया है कि वर्ष 2012 की दिनांक 31 उसका माह उसे याद नहीं है, को वह अपने साले सोनू अ०सा०२ के साथ मोटरसाइकिल कमांक एम०पी०—30—7555 से अपने गांव अजनौरा जा रहा था। मोटरसाइकिल वह स्वयं चला रहा था तब दिन के 2 बजे आरोपी लापरवाही से टाटा 407 कमांक एम.पी.—07—जी.ए.2180 को गलत दिशा से रोंग साइड से लाया और उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे वह और सोनू घायल हो गये उसके पैर में व दाहिने हाथ के पीछे कोहनी में चोट आई। सोनू अ०सा०२ को सिर, सीने, दांत और घुटने में व दोनों पांव में चोट आई फिर उसने घटना की रिपोर्ट प्र०पी—1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को घटनास्थल बताया था तब पुलिस ने नक्शामौका प्र०पी—2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर बयान लिया था। उसकी मोटरसाइकिल में पांच हजार रूपये का नुकसान हुआ था जिसका नुकसानी पंचनामा प्र०पी—3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- ते. सोनू अ0सा02 ने कथन किया है कि नवलिकशोर अ0सा01 उसका बहनोई है वह आरोपी नीरज को नहीं जानता और ना ही पहचान सकता है। तीन वर्ष दोपहर 12—1 बजे वह और नवलिकशोर अ0सा01 बाईक से ग्वालियर से भिण्ड आ रहे थे। जिसे नवलिकशोर चला रहा था तब गोहद चौराहे और बिरखड़ी के मध्य टाटा 407 कमांक एम.पी.—07—जी.ए.2180 भिण्ड की तरफ से तेजी से आ रही थी। डाइवर की नींद लग गयी जिससे वह उनकी तरफ आ गया और उनकी मोटराइकिल में टक्कर मार दी घटना में वह बेहोश हो गया था। इसलिए वह नहीं देख पाया कि टाटा 407 कौन चला रहा था। घटना में उसके नाक व दांये पैर में चोट आई थी।
- 7. भूरेसिंह अ०सा०३ ने कथन किया है कि वह आरोपी नीरज को नहीं पहचान सकता। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि वह घटना के समय मौके पर था और

8.

9.

इस सुझाव से भी इंकार किया है कि टाटा 407 कमांक एम.पी.-07-जी.ए.2180 को चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और सोनू अ०सा०२ व नवलकिशोर अ०सा०३ को टक्कर मार दी। 🌈

- बचाव पक्ष द्वारा चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी–4 व प्र0पी–5 को विवादग्रस्त न होना बताया गया है। जिसके अनुसार सोनू अ0सा02 को 4 खरोंच और नवलिकशोर अ०सा०१ को तीन खरोंच और एक कन्टयूजन शरीर के विभिन्न अंगों पर पाये गये हैं 🍖
- सोनू अ0सा02 ने दुर्घटना होने का कथन किया है लेकिन बेहोशी के कारण आरोपी को पहचानने में असमर्थता व्यक्त की है। नवलकिशोर अ०सा०1 ने आरोपी नीरज को न्यायालयीन साक्ष्य में पहचाना है और प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में कथन किया है कि एफआईआर प्र0पी-1 लिखाते समय उसे आरोपी का नाम ज्ञात नहीं था और ना ही वह उसे जानता था लेकिन 4-5 दिन बाद उसे आरोपी का नाम पता चला गया था और वह उसे शक्ल से जानता था। अतः एफआईआर प्र0पी—1 के उपरांत न्यायालय के समक्ष आरोपी को पहचानने और उसका नाम बात होने पर वर्णित किया जाना साक्षी की पश्चातवर्ती सोच दर्शित नहीं करता है। आरोपी के नाम के संबंध में सोनू ने पैरा 4 में कथन किया है कि वह न्यायालय में साक्ष्य अंकित किए जाने से दो माह पूर्व भी आया था तब आरोपी से बातचीत हुई 🔌थी। अतः आरोपी का नाम ज्ञात होने का कारण भी स्पष्ट होता है।
- नीरज अ0सा01 ने पैरा 2 में कथन किया है कि घटना दिनांक को जब वह थाने पर आया तब गाडी रखी मिली थी गाडी पहले से ही रखी थी और पुलिस ने पकड़ ली थी। प्रकरण में संलग्न जप्ती पत्रक और गिरफतारी पत्रक के अनुसार ही घटना दिनांक को गाड़ी जप्त की गयी है जिससे नीरज अ0सा01 के कथन की संपुष्टि होती है और नीरज अ०सा०1 व सोन् अ०सा०2 द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में वर्णित वाहन क्रमांक भी विश्वसनीय हो जाता है
- नवल अ०सा०१ और सोनू अ०सा०२ ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि आरोपी द्वारा गलत दिशा में गाड़ी चलाई गयी सोनू से इस संबंध में प्रतिपरीक्षण में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं किया गया है और नवल अ०सा०1 ने पैरा 2 में उक्त तथ्य का लोप रिर्पो प्र0पी–1 में होने का वह कारण नहीं बता पाया है। एफआईआर प्र0पी–1 में उपेक्षापूर्वक वाहन चलाया जाना उल्लिखित है। गलत दिशा में वाहन चलाया जाना भी उपेक्षापूर्वक किया जाने वाला कृत्य है। उक्त उपेक्षा गलत दिशा में चलाने के बारे में नहीं है यह स्वतः निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है जिससे न्यायालयीन साक्ष्य में प्रथम बार ही गलत दिशा में वाहन चलाया जाना वर्णित किया जाना नहीं माना जा सकता है।
- अतः आहत नवल अ०सा०१ के कथन से घटना के समय आरोपी द्वारा 12. ही वाहन परिचालित किया जाना विश्वसनीय रूप से प्रमाणित होता है और सोन अ0सा02 के कथन से घटना वाहन कमांक एम.पी.—07—जी.ए.2180 से कारित होना प्रमाणित होती है और उक्त वाहन नवल अ०सा०१ के कथनानुसार आरोपी द्वारा ही चलाया जा रहा था। सोनू अ०सा०२ द्वारा आरोपी को पहचानने की असक्षमता का भी उचित कारण दिया गया है। अतः आहत साक्षीगण नवल अ०सा०1 व सोन् अ०सा०२ के कथन पूर्णतः विश्वसनीय और निर्भर रहने योग्य प्रमाणित होते हैं और आहत साक्षी होने से उनकी साक्ष्य एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में

सफल रहता है और यह सिद्ध होता है कि आरोपी ने दिनांक 31.08.12 को 15:30 बजे दिलीपसिंह के पूरा के सामने भिण्ड आम रोड पर वाहन टाटा 407 कमांक एम.पी.—07—जी.ए.2180 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी नवलकिशोर शर्मा की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उस पर बैठे सोनू भारद्वाज अ०सा०२ एवं नवलकिशोर अ०सा०१ को उपहति कारित की।

- परिणामतः आरोपी को धारा 279 337 (दो बार) भा.द.स. के आरोप में 13. दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
- आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त कर उसे अभिरक्षा में लिया 14. जाता है।
- अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया। 15. वर्तमान परिवेश में सड़क दुर्घटना की घटना अत्यधिक हो रही है। अतः आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिए जाने से न्यायिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। अतः आरोपी को परिवीक्षा का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।
- 16. 🚫 🥠 प्रकरण में आहतगण को केवल खरोंचे आईं है इसलिए इस प्रकरण में कारावास का दण्डादेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपी की धारा 279 भा.द.स. के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास और एक 🔌 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड जमा करने के व्यतिक्रम की दशा में दस दिवस का साधारण कारावास भुगताया जाये।
- आरोपी को धारा 337 भा.द.स. के आरोप में आहत नवलकिशोर अ०सा०१ को उपहति कारित किए जाने के परिणामस्वरूप पांच सौ रूपये अर्थदण्ड से दिण्डत किया जता। है अर्थदण्ड जमा करने के व्यतिक्रम की दशा में पांच दिवस का साधारण कारावास भ्गताया जाये।
- आरोपी को धारा 337 भा.द.स. के आरोप में आहत सोनू अ0सा02 को 18. उपहति कारित किए जाने के परिणामस्वरूप पांच सौ रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जता है अर्थदण्ड जमा करने के व्यतिकृप की दशा में पांच दिवस का साधारण कारावास भूगताया जाये।
- जमा अर्थदण्ड में से प्रतिकर राशि पांच-पांच सौ रूपये प्रत्येक आहत नवलकिशोर अ०सा०१ व सोनू अ०सा०२ को अपील अवधि पश्चात संदाय की जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।
- प्रकरण में जप्तश्र्दा वाहन क्रमांक एम.पी.—07—जी.ए.2180 आवेदक 20. रामिसया की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित समझा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन ALIMAN A किया जाये।

दिनांक :-

सही / – (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म०प्र०